कार्यालय अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ0ग0)

FAX (O) – 07752-224200, PHONE (O) – 07752 -230030,
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email – deancims@gmail.com

क्रमांक / .... / छात्रशाखा / सिम्स / 21 बिलासपुर, दिनांक / /2021

/ /सूचना/ /

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर छ.ग. के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष से संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह लाया गया है कि बैच 2020–21 के छात्र अवैधानिक रूप से मास बंक करना चाहते है। तत्संबंध में समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि छात्र–छात्राएं अवैधानिक रूप से कक्षाओं से अनुपस्थित रहते है तो संस्थान की प्रबंधकारणी सभा की 18वीं बैठक दिनांक 10.10.2017 के बिन्दु क्रमांक F-IV में लिए गए निर्णय अनुसार प्रति अनुपस्थित दिवस हेतु 500/– का अर्थदण्ड किया जावेगा एवं संबंधित छात्रों के अभिभावकों को महाविद्यालय में बुलाकर छात्रों द्वारा किए गए अनुशासनहीनता की जानकारी उन्हें दी जावेगी। साथ ही लेख है कि उक्त अनुपस्थिति से यदि छात्र विश्वविद्यालयीन परीक्षा हेतु अर्नह होते है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित छात्र–छात्राओं की होगी।

//

अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 12273-74/ छात्रशाखा / सिम्स / 21 बिलासपुर, दिनांक 12/08/2021

प्रतिलिपिः–

01 समस्त विभागाध्यक्ष, सिम्स महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं छात्रों के अनुपस्थित रहने पर उसकी जानकारी तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पालनार्थ।

02 समस्त अधीक्षक, बालक एवं बालिका छात्रावास, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं छात्रों के अनुपस्थित रहने पर उसकी जानकारी तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पालनार्थ।

13/8/21

अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ0ग0)